

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 523]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2015/भाद्र 2, 1937

No. 523]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2015/BHADRA 2, 1937

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 650(अ).—इस मंत्रालय की तारीख 12 दिसम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या एफ 26-12/1995-पुस्त. (खंड-III) के संदर्भ में यह अधिसूचित किया जाता है कि रामपुर रजा पुस्तकालय बोर्ड में विशेष अतिथि के रूप में श्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां, विधायक, नूर महल, रामपुर-244901, उत्तर प्रदेश का नामांकन तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है ।

[फा. सं. 26-12/1995-पुस्त. (खंड-IV)]

श्रेया गुहा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2015

G.S.R. 650(E).—With reference to this Ministry's Notification No. F. 26-12/1995-Lib. (Vol. III) dated 12-12-2013 it is hereby notified that the nomination of Shri Nawab Kazim Ali Khan alias Naved Mian, MLA, Noor Mahal, Rampur-244901, U.P. as special invitee to the Rampur Raza Library Board, stands withdrawn with immediate effect.

[F. No. 26-12/1995-Lib (Vol. IV)]

SREYA GUHA, Jt. Secy.